

मध्य प्रदेश शासन
प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति
सचिवालय

कार्यालय: टैगोर छात्रावास क्रमांक टी-2, श्यामला हिल, भोपाल-462002
दूरभाष एवं फ़ैक्स : 0755-2660461, email:afrcmp@gmail.com, web site: www.afrcmp.org

क्रमांक/सचि./ओएसडी/2016/1301
प्रति,

दिनांक - 05.05.16


अध्यक्ष/सचिव/संचालक/अधिष्ठाता/प्राचार्य,
(निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थायें)
म.प्र.

विषय- प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, सचिवालय में विद्यार्थियों/अन्य आमजन समस्याओं/शिकायतों के ऑनलाईन पंजीयन के संबंध में।

प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा उपरोक्त विषयांतर्गत इस सचिवालय के द्वारा सभी संस्थाओं को सचिवालय की वेबसाईट www.afrcmp.org से अपनी संस्था संबंधी जानकारियों को ऑनलाईन उपलब्ध कराने हेतु यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्रेषित किये गये थे। समिति, सचिवालय ने विद्यार्थियों/अन्य आमजन से प्राप्त होने वाली समस्याओं/शिकायतों को ऑनलाईन माध्यम से आवश्यक कार्यवाही करने के लिये मोड्यूल तैयार कर लिया है जिसको शीघ्र ही समिति, सचिवालय की वेबसाईट पर उपलब्ध करा दिया जायेगा।

अधिकांश समिति/संस्थाओं ने सचिवालय द्वारा उनके पाठ्यक्रम के लिये प्रदाय किये गये यूजर आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से संस्थाओं की जानकारी प्राप्त हो गई है, परंतु तीन माह व्यतीत होने के बाद भी कुछ संस्थानों द्वारा समिति, सचिवालय की वेबसाईट पर अपने संस्थान की प्राथमिक जानकारी जो कि Greivance Cell के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं, उपलब्ध नहीं करायी है। ऐसी सभी संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे इस सूचना पत्र के जारी होने के दस दिवस के अंदर अपने संस्था से संबंधित जानकारी समिति, सचिवालय की वेबसाईट में प्रविष्टी करते हुये इसकी सूचना इस सचिवालय को भी भजेंगे।

ऐसी संस्थायें जिन्हें यूजर आईडी एवं पासवर्ड समिति, सचिवालय से प्राप्त नहीं हुये हैं, ऐसी संस्थायें समिति, सचिवालय के ईमेल एड्रेस afrcmp@gmail.com पर ईमेल कर इसे प्राप्त करने का आवेदन भेज सकती हैं।



(डॉ. एन.के.शर्मा)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

दिनांक - 05.05.16

पृ.क्रमांक/सचि./ओएसडी/2016/1302

प्रतिलिपि-1.माननीय अध्यक्ष महोदय प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, भोपाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2.कार्यपालक निदेशक, क्रिस्प, श्यामला हिल्स, भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(डॉ. एन.के.शर्मा)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी